



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल
आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 216/2025

1. ओमप्रकाश पुत्र मनफूल जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।
2. नवीन पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।

- वादीगण

बनाम

1. मनफूल पुत्र बस्तीराम जाति जाट, साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. सुरेन्द्र पुत्र मनफूल जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. अंकुश गोदारा पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।
4. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 14/10/25

वादीगण की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरुका अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री हरमन सिंह अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा/इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

चक 10 जेड. डब्ल्यू डी के खाता संख्या 16/12 के मु.न. 13 के प.न. 92/369 के किला न. 16, 17, 18 व प.न. 93/369 मु.न. 14 किला न. 1/2/.228, 2 ता 4, 5/1/.228, 5/2/.026, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 8, 9, 10/2/.228, 11/2/.228, 12, 13, 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 18, 19, 20/2/.228, 21/2/.228, 22, 23, 24, 25/2/.190, 25/3/.026 कुल 6.923 हैक् नहरी में प्रतिवादी संख्या का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है मे से वादी स. 1 को 1.2243 हैक्. कृषि भूमि का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है, वादी स. 2 को 1.1186 हैक्. कृषि भूमि का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी स. 2 को को 1.1186 हैक्. कृषि भूमि का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है

3 एवम् प्रतिवादी संख्या 3 को चक 10 जेडडब्ल्यू डी के खाता संख्या 17/13 के मु.न.
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



प.न. 92/370 के किला न 13/4/051, 19, 20, 21/2/228, 22/2/228 कुल 1.013 हैव. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/10/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(3) (उषा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड सहायक कलेक्टर एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा